न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

मूल वाद मे संशोधन आदेश

पीठासीन अधिकारी – अमित कुमार वर्मा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 20/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा –152 जा.दी.

अनवान

1. किशनलाल पिता गोकल कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोठियां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज0

–– (प्रार्थी)

बनाम

1. चन्द्रा पिता भूरा बलाई उम्र वयस्क निवासी कोठियां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज0
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

–––(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र बाबत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) में दुरूस्तिकरण

उपस्थित –

1. प्रार्थी अधिवक्ता– 1. श्री सुनील कुमार शर्मा
   2 श्री विष्णुदत्त शर्मा ....उपस्थित

3 पेरोकार सरकार......... विपक्षी कम 02

निर्णय

दिनांक–26.02.2021

प्रार्थी मय अधिवक्ता व राज्य पक्ष की और से तहसीलदार फुलियाकलां की उपस्थिति में इस प्रार्थनापत्र को दिनांक 07.06.2018 पर न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर प्रार्थनापत्र निर्णित किया जा चुका हैं, भूलवश हुई टंकण भूल/मानवीय गलती को दुरूस्त करने के लिए प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से दिनांक 15.02.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा दफा 152 जा.दी बाबत निर्णय दुरूस्तिकरण स्वीकार कर पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 में दुरूस्तीकरण कर पुनः संशोधित आदेश इस प्रकार दिया जाता है कि–

प्रार्थनापत्र में पारित आदेश दिनांक 07.06.2018 की कम संख्या 05 में आराजी संख्या 5049/2086 के अतिरिक्त आराजी संख्या 4721/2086 सम्मिलित कर, दुरूस्तीकरण किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। इस निर्णय को पूर्ववृति पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है।

तहसीलदार फुलियाकलां तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.04 15:53:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner